तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.21/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
20.2.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र दलाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– मालीवास, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म न्यू महालक्ष्मी सुपर मार्केट, माउन्ट रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल माली उपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.3.2021 को न्यू महालक्ष्मी सुपर मार्केट, माउन्ट रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1396 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./291/Act/ 2021/389 दिनांक 19.4.2021 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल माली उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 32 की पालना नही की गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अकिारी ने उक्त अधिनियम की धारा 32 की पालना किये बिना ही प्रतिवादी के विरुद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) को बेचने का केवल व्यापार करता है। प्रतिवादी खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) का निर्माता नही है। प्रतिवादी छोटे स्तर का व्यापारी है जो सद्भावपूर्ण तरीके से माल खरीद कर बेचने का कार्य करता है। प्रतिवादी खाद्य पदार्थ तिल तले (पंचधारा ब्राण्ड) का निर्माता नही होने से कोई जुर्माना राशि भरने हतु बाध्य नही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माता फर्म को पक्षकार बनाये बिना ही प्रतिवादी के विरुद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया है जो कानूनन परिपोषणीय नही है। यह कि प्रतिवादी ने खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) को फर्म नवयुग एजेन्स से जरिय बिल नम्बर 894 दिनांक 26.11.2020 के द्वारा कीमतन खरीद किया था एवं [illegible]दशुदा तिल तेल को अपने फर्म के माध्यम से लोगों का [illegible] का कार्य करता पेज दो पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:47 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज०)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.21/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

है। प्रतिवादी ने मिथ्याछाप या अमानक खाद्य पदार्थ का निर्माण नही किया है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जावे।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.3.2021 को समय 5.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म न्यू महालक्ष्मी सुपर मार्केट, माउन्ट रोड, आबूरोड़, जिला–सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार पुत्र दलाराम जी माली, निवासी– मालीवास, आबूरोड़ उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता जितेन्द्र कुमार को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) की 10 पैकड बोतलों (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) की 4 पैक्ड बोतलें (प्रत्येक 500 एम.एल.) को जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/– (रुपये चार सौ मात्र) विक्रेता जितेन्द्र कुमार को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1396, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना पाउचेज पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों खरीदशुदा को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1396 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट [illegible] की जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है।

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:47 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.21/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.3.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 26.3.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म न्यू महालक्ष्मी सुपर मार्केट, माउन्ट रोड, आबूरोड़ में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता जितेन्द्र कुमार से खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1396 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./291/Act/2021/389 दिनांक 19.4.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने इस न्यायालय में निर्माता फर्म को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 16.12.2022 को खारिज किया गया। प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार पुत्र दलाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– मालीवास, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म न्यू महालक्ष्मी सुपर मार्केट, माउन्ट रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ तिल तेल (पंचधारा ब्राण्ड) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य [illegible] 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य [illegible] अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–[illegible] के द्वारा प्रदत [illegible] लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:47 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.21/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार पुत्र दलाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– मालीवास, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म न्यू महालक्ष्मी सुपर मार्केट, माउन्ट रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी जितेन्द्र कुमार को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 24.3.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:47 IST
Reason: SelfAttested